सशक्त राष्ट्र और मजबूत सामाजिक ताना–बाना के लिए आंतरिक सुरक्षा की सुदृढ़ता आवश्यक – मुख्यमंत्री

नई दिल्ली 16 अप्रैल, 2012 :– श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिहार ने कहा है कि देश के अन्दर और बाहर दोनों ही ओर से आंतरिक सुरक्षा का खतरा बना होता है। आंतरिक सुरक्षा पर खतरों का मुख्य कारण सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, विकास में क्षेत्रीय असंतुलन सहित विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार, वंचित लोगों एवं क्षेत्रों में असंतोष का होना है। इन्ही कारणों से लोग वामपंथी उग्रवाद का सहारा लेते हैं जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन खड़ी होती है। श्री कुमार ने कहा कि हमारी सरकार न्याय के साथ विकास और भ्रष्टाचार के विरूद्ध ''शून्य सहनशीलता'' की नीति घोषित कर चुकी है। फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा वैधानिक ढंग से ठोस कार्रवाई के तहत् भ्रष्टाचार के विरूद्ध लगातार अभियान जारी है।

मुख्यमंत्री श्री कुमार आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ''आन्तरिक सुरक्षा'' पर आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। श्री कुमार ने कहा कि केन्द्र एवं राज्यों को एक साथ बैठकर सुरक्षा परिदृश्य और इससे निपटने के तौर–तरीकों जैसे गम्भीर विषय पर तत्काल विचार विमर्श करना चाहिए।

श्री कुमार ने बताया कि बिहार में विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के अधीन लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार की राशि से अर्जित सम्पत्ति जब्ती के लिए छः विशेष न्यायालय गठित की गई है, वर्तमान में 44 मामले विचाराधीन है। कुछ मामलों में ऐसी सम्पत्ति जब्त कर गरीबों के लिए विद्यालय खोले गए हैं। क्रिमीनल लॉ (एमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 1944 के प्रावधानों के तहत् बिचौलिए के रूप में लोक निधि का गबन करने वाले निजी लोगों की सम्पत्तियों को जब्त किया जा रहा है। इसी तरह सेक्सन 110, सीआरपीसी के प्रभावकारी उपयोग से आपराधिक प्रकृति के लोगों के विरूद्ध कार्रवाही करने से आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण हुआ है। श्री कुमार ने बताया कि आर्थिक अपराधों के लिए विशेष कोषांग का गठन किया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला, इन्दिरा आवास योजना में बिचौलियों के माध्यम से सरकारी राशि का गबन, खाद की कालाबाजारी, अवैध खनन आदि के विरूद्ध मामले दर्ज कर राज्य व्यापी अभियान छेड़ा गया है। प्रत्येक जिले में महिला थाना एवं अनुसूचित जाति/जनजाति थाना स्थापित की गई है।

श्री कुमार ने बताया कि नक्सल वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में आशातीत सफलता मिली है। ''आपकी सरकार, आपके द्वार'' के माध्यम से उग्रवाद के विरूद्ध एक बहुआयामी एवं प्रभावकारी योजना चलाई जा रही है। चिन्हित पंचायतों को इन्दिरा आवास, विद्यालय भवन, ग्रामीण सड़क, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएँ, भूमि सुधार आदि से इसे संयमित किया जा रहा है। श्री कुमार ने मांग की है कि केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रमों को चलाने के लिए निधि उपलब्ध कराए। साथ ही साथ वामपंथी उग्रवादियों के विरूद्ध विकास कार्यों के लिए आसूचना आधारित अभियान, विकास कार्यों के लिए सुरक्षा तथा पुलिस बल की सुरक्षा विकास की रणनीति से प्रभावकारी परिणाम मिले हैं। प्रशिक्षित दलों की संख्या 15 से बढ़कर 25 हो गई है। भूतपूर्व सैनिकों को संविदा पर नियुक्त कर सैप का गठन किया गया है। जिसकी कार्मिक क्षमता अब 10500 हो गई है। सैप को उग्रवाद प्रभावित थानों में पदस्थापित किया गया है। 94 नये थानें स्थापित किये गए है। अब कुल 372 थानों में से 49 मात्र थानों के पास अपना भवन नहीं है। जिसे शीघ्र भवन सुलभ कराने हेतु प्रयास जारी है। 18170 आरक्षी बल एवं 2170 सहायक निरीक्षक की नियुक्ति की गई है। परिणामस्वरूप 2001–05 की तुलना में 2006–11 में उग्रवादी घटनाओं में 48 : की कमी आयी है और उग्रवादियों से लेवी राशि की वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने बताया कि यह सही है कि पुलिस को दक्षतापूर्ण, प्रभावी एवं जनसहयोगी ढंग से कार्य करने के लिए उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार पुलिस की पूर्ण कार्यकारी स्वायत्ता की अवधारणा को मानते हुए व्यापक नियंत्रण एवं उतरदायित्व लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार में निहित होता है। बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 को पारित कर पुलिस सुधार के कार्यक्रमों को लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की क्षमता स्थानीय लोगों के सहयोग पर काफी निर्भर करता है। इसके लिए उनकी साख महत्वपूर्ण होता है। अतः स्थानीय लोगों को नियम की सही जानकारी होना, स्वास्थ्य शिविर स्थापित कर तथा क्रीड़ा आदि के माध्यम से स्थानीय लोगों का विश्वास जिता जा सकता है। श्री कुमार ने कहा कि उपरोक्त संतुलन से ही बिहार में विगत छः वर्षों से राज्य में संप्रदायिक सदभाव संतुलित रहा है।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा विगत बैठक में बिहार नेपाल की कुल 726 किलोमिटर की खुली सीमा समस्या का शीघ्र निदान आवश्यक है। केन्द्रीय सुरक्षा बल सीमा पर तैनात तो है लेकिन उनकी संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है। सीमा चौकियों को सशक्त करने की आवश्यकता है, सीमा सड़कों का त्वरित निर्माण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सीमा पर समेकित चेकपोस्ट और अतंरराष्ट्रीय सीमा का संयुक्त सर्वेक्षण जैसे मुख्य मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चूँकि उनके पास पुलिस शक्तियाँ दे दी गई है फलस्वरूप स्थानीय लोगों के साथ बेहतर व्यवहार की आवश्यकता है। श्री कुमार ने कहा कि केन्द्रीय

सशस्त्र बलों की कम्पनियों में वृद्धि की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट्स के क्रय की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में स्पीडी ट्रायल न्यायालय की स्थापना के परिणामस्वरूप विगत् वर्षों तक कुल 71323 अपराधियों को दोषी पाया गया है। अब हमने स्पीडी ट्रायल से आगे त्वरित अपील के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया है। त्वरित अपील से अपनी अंतिम परिणति तक पहुँचने के क्रम में मुकदमों की निरंतर निगरानी की भावना जागृत हुई है। राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है और पुलिस को अपराध नियंत्रण के लिए बेहतर हथियार, गोला–बारूद और बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। परिणामस्वरूप गंभीर अपराधों में कमी आयी है। मेरा अनुरोध है कि पुलिस आधुनिकीकरण की योजना को आगामी 10 वर्षों के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए। बिहार को अभी श्रेणी 'बी' के राज्यों के अंतर्गत रखा गया है जो इसे 75 प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान का पात्र बनाता है। राज्य की विशेष आवश्यकता को देखते हुए इसे 100 प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान वाले 'ए' कैटगरी राज्यों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

पुलिस को अधिक जवाबदेह और जनता के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत चरित्र प्रमाण–पत्र, पासपोर्ट के लिए जाँच करने जैसे मामलों में, आवेदनों के निष्पादन के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है। सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अगस्त, 2011 से मार्च 2012 के बीच प्राप्त आवेदनों में 91 प्रतिशत का निष्पादन पुलिस प्रशासन द्वारा कर दिया गया है एवं शेष विहित अवधि में निष्पादन हेतु प्रक्रियाधीन है।

श्री कुमार ने कहा कि लोगों की उम्मीदों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। सूचना के प्रसार, संचार में क्रांति एवं बढ़ी सम्पर्कता के कारण लोंगो में उत्पन्न जागरूकता के फलस्वरूप निष्पक्ष एवं उत्तरदायी शासन देना अब समय की मांग हो गयी है। हमलोगों को इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए प्रयास करना चाहिए। श्री कुमार ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की समस्या को सुलझाने में राज्य सरकारों की चिंताओं को सम्मान देते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है।

आहुत बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने की। गृह मंत्री भारत सरकार श्री पी0 चिदम्बरम सहित गृह मंत्रालय के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री, श्री नीतश कुमार के साथ स्थानिक आयुक्त, बिहार सरकार, श्री आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी, गृह सचिव, श्री आमीर सुबहानी तथा आरक्षी महानिदेशक, श्री अभयानंद ने भाग लिया।